भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1755
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की भूमि का राज्य सरकार को हस्तांतरण

1755. श्री विजय बघेलः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली नेवई बस्ती, मरोदा, तहसील और जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) जैसी घनी आबादी वाली श्रमिक कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है जहां जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह आवश्यक है कि बीएसपी की भूमि सेल बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाए क्योंकि इसके अभाव में आम जनता पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास और जीवन की बुनियादी सुविधाओं आदि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है; और

(ग) सेल बोर्ड और सरकारी प्रशासन के स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार के नेवई बस्ती, मरोदा आदि घनी आबादी वाली कॉलोनियों की भूमि को छत्तीसगढ़ सरकार के नगर निगम रिसाली को हस्तांतरित किए जाने की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल/बीएसपी) ने 290.26 एकड़ भूखंड (जो रुआबांधा, मरोदा, जोरातरई, पुरेना, छावनी और खुरसीपारा गांवों में स्थित है) और नेवाई गांव में 151.46 एकड़ भूमि (मौहरी बगीचा, स्टेशन मरोदा, नेवाई (एचएससीएल कॉलोनी), नेवाई पुरानी बस्ती और नेवाई भाटा) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंप दी है। सेल द्वारा उपर्युक्त भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी है।

सेल/बीएसपी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के अनुसार, नेवाई बस्ती, मरोदा, तहसील और दुर्ग ज़िला सहित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सड़कें, पेयजल, बिजली और सामुदायिक शौचालय जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं स्थानीय प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी।

*****